

उपासना स्थल अधिनियम

प्रलिस के लयः

उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलयम, 1991

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलयम, 1991, संबंघतः प्रावधान ।

चर्चा में क्यौं ?

काशी वशषनाथ मंदरः-ज्जानवापी मस्जदः परसरः में माँ शृंगारगौरी स्थल की वीडयौग्राफी सर्वेक्षण करने के वाराणसी के एक सवलः न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा.

- मुख्य तर्क यह है कः वाराणसी न्यायालय का आदेश जसः इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलयम, 1991 द्वारा "स्पष्ट रूप से प्रतःबंधतः" है ।

उपासना स्थल अधिनलयमः

- यह अधनलयम कसी भी पूजा/उपासना स्थल की वसतुस्थतः को उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कः वःह 15 अगस्त, 1947 को थी ।
- छूटः**
 - अयोध्या में वःवादतः स्थल को इस अधनलयम से छूट दी गई थी । इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही ।
 - अयोध्या वःवाद के अलावा इस अधनलयम में इन्हें भी छूट दी गई हैः
 - कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतःहासकः स्मारक है, या एक पुरातातःत्वकः स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातातःत्व स्थल एवं अवशेष अधनलयम, 1958 द्वारा संरक्षणतः है ।
 - एक ऐसा वाद जो अंततः नःपःटा दःया गया हो ।
 - कोई भी वःवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या कसी स्थान का स्थानांतरण जो अधनलयम के शुरू होने से पहले सहमतः से हुआ हो ।
- दंडः**
 - अधनलयम की धारा 6 अधनलयम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है ।
- आलोचनाः**
 - इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कः यह न्यायकः समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कः संवधान की एक बुनयादी वशषता है, साथ ही यह एक "मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तथः" आरोपतः करता है जो हदः, जैन, बौद्ध और सखों के धार्मकः अधिकारों को सीमतः करता है ।

प्रावधानः

- धारा 3:** इस अधनलयम की धारा 3 उपासना स्थलों के परवःर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी वःयक्तः कसी भी धार्मकः संप्रदाय या उसके कसी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मकः संप्रदाय के कसी भन्ःन वर्ग या कसी भन्ःन धार्मकः संप्रदाय या उसके कसी वर्ग के पूजा स्थल में परवःर्ततः नहीं करेगा ।
- धारा 4(1):** यह घोषणा करती है कः 15 अगस्त, 1947 तक अस्तःतःव में आए पूजा स्थलों की धार्मकः प्रकृतः "पूर्ववत् बनी रहेगी" ।
- धारा 4(2):** इसमें कहा गया है कः 15 अगस्त, 1947 को मौजूद कसी भी पूजा स्थल की धार्मकः प्रकृतः के परवःर्तन के संबंघ में कसी भी न्यायालय के समक्ष लंबतः कोई भी मुकदमा या कानूनी कारःवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कारःवाही शुरू नहीं की

जाएगी।

◦ इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तथिपर लंबति हैं, यदावे कट-ऑफ तथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृत के रूपांतरण से संबधति हैं।

- **धारा 5:** यह नरिधारति करता है कि अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मसजदि मामले और इससे संबधति कसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

अयोध्या फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी?

- संवधान पीठ ने 2019 के अयोध्या फैसले में कानून का हवाला दिया और कहा कि यह संवधान के धर्मनरिपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और कार्यवाही पर प्रतबिधति करता है।
- इसलिये कानून भारतीय राजनीतकी धर्मनरिपेक्ष वशिषताओं की रकषा हेतु बनाया गया वधायी साधन है जो संवधान की बुनयादी वशिषताओं में से एक है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-places-of-worship-act>

